

In pursuance of the provisions of clause (3)of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.6/2012/108(120)/XXVII(8)/02,Dated, ,September,2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.6/2012/108(120)/XXVII(8)/02
Dehradun :Dated, September,2012

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 32 of the Uttarakhand Value Added tax Act,2005(Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P.Act No.1 of 1904)(as applicable in the State of Uttarakhand),the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand Value Added tax Act,2005 for the year 2008-2009 can be made upto 30-11-2012.

By Order,


(Radha Raturi)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—८
संख्या:- /2012/108(120)/XXVII(8)/02
देहरादूनः दिनांक २७ सितम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम सं0-27, वर्ष 2005) को धारा-32 की उपधारा(12), सपष्टित उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0-1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-21 के द्वारा प्रदत्त शावितयों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम सं0-27, वर्ष 2005) के अधीन वर्ष 2008-09 के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 30.11.2012 तक किया जा सकता है।

(राधा रत्नड़ी)
सचिव।

तात्त्व-०५६/2012/108(120)/XXVII(8)/02/ तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नालेखित लो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आदुशन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से उन्नति अधिकारियों कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक चुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये ५०-५० प्रतियों वित्त अनुभाग-८ में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु / एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
८७.८.२०१२
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।